राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 523/2008/जयपुर.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत–पंचम, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स हरीराम उद्योग,
65, इण्डस्ट्रियल एरिया, झोटवाड़ा, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 05/06/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 19/31/आरएसटी/अपील्स–चतुर्थ/2002–03/जेपीई में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.04.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष मण्डल तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 77(8) के तहत प्रत्यर्थी के विरूद्ध पारित किये गये आदेश दिनांक 24.05.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 24.05.2002 को किया गया। मौके पर 360 टिन मूंगफली तेल घोषित स्टॉक से अधिक पाया गया, जिसका इंद्राज लेखा–पुस्तकों में नहीं पाया गया। उक्त अघोषित माल के सम्बन्ध में जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उसी दिन जवाब प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया कि वह अपनी गलती स्वीकार करता है और नियमानुसार जुर्माना भरने को तैयार है। उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 77(8) के तहत आदेश पारित करते हुए शास्ति रूपये 72,900/– का आरोपण किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त जांच 360 टिन मूंगफली तेल अघोषित पाया गया एवं इस बाबत प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपनी स्वीकारोक्ति प्रदान करते हुए जुर्माना अदा किये जाने का कथन किया गया है, जिसके पश्चात् प्रकरण में

लगातार.....2

अन्य किसी जांच की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसके बावजूद अपीलीय अधिकारी ने सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच पाया गया माल उसी दिन टिनों में भरा गया था, जो कि व्यवहारी के घोषित कच्चे माल से तैयार किया गया था, ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का माल अघोषित नहीं पाया गया था। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त माल को अघोषित मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा नियत दिनांक को प्रत्यर्थी व्यवहारी को अपनी रिश्तेदारी में पंजाब जाने के कारण व्यवहारी द्वारा उक्त स्वीकारोक्ति की गयी थी, जो कि न्यायहित में स्वीकार करते हुए प्रकरण में अन्य तारीख नियत की जानी चाहिये थी, जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा उसी दिन फैसला करते हुए शास्ति का आरोपण किया गया है, जो अपीलीय अधिकारी द्वारा विधि अनुसार अपास्त किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वक्त जांच 360 टिन मूंगफली तेल पाया गया, जो कि व्यवहारी की लेखा–पुस्तकों में दर्ज नहीं था। इस बाबत जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए शास्ति अदा किये जाने की सहमति व्यक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2009) 25 Tax Update 20 मैसर्स राजेन्द्र इलेक्ट्रिकल्स बनाम स.वा.क.अ. वार्ड–प्रथम जालौर** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि व्यवहारी की स्वीकारोक्ति के पश्चात् प्रकरण में किसी प्रकार की जांच अपेक्षित नहीं रहती है एवं शास्ति का आरोपण पूर्णतया विधिसम्मत है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि कारित किया जाना नहीं पाया जाता है, जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त करते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर, अपीलीय आदेश दिनांक 13.04.2007 अपास्त किया जाता है एवं सक्षम अधिकारी का आदेश दिनांक 24.05.2002 यथावत बहाल किया जाता है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 523/2008/जयपुर.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत–पंचम, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स हरीराम उद्योग,
65, इण्डस्ट्रियल एरिया, झोटवाड़ा, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 05/06/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 19/31/आरएसटी/अपील्स–चतुर्थ/2002–03/जेपीई में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.04.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष मण्डल तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 77(8) के तहत प्रत्यर्थी के विरूद्ध पारित किये गये आदेश दिनांक 24.05.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 24.05.2002 को किया गया। मौके पर 360 टिन मूंगफली तेल घोषित स्टॉक से अधिक पाया गया, जिसका इंद्राज लेखा–पुस्तकों में नहीं पाया गया। उक्त अघोषित माल के सम्बन्ध में जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उसी दिन जवाब प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया कि वह अपनी गलती स्वीकार करता है और नियमानुसार जुर्माना भरने को तैयार है। उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 77(8) के तहत आदेश पारित करते हुए शास्ति रूपये 72,900/– का आरोपण किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त जांच 360 टिन मूंगफली तेल अघोषित पाया गया एवं इस बाबत प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपनी स्वीकारोक्ति प्रदान करते हुए जुर्माना अदा किये जाने का कथन किया गया है, जिसके पश्चात् प्रकरण में

लगातार.....2

अन्य किसी जांच की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसके बावजूद अपीलीय अधिकारी ने सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच पाया गया माल उसी दिन टिनों में भरा गया था, जो कि व्यवहारी के घोषित कच्चे माल से तैयार किया गया था, ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का माल अघोषित नहीं पाया गया था। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त माल को अघोषित मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा नियत दिनांक को प्रत्यर्थी व्यवहारी को अपनी रिश्तेदारी में पंजाब जाने के कारण व्यवहारी द्वारा उक्त स्वीकारोक्ति की गयी थी, जो कि न्यायहित में स्वीकार करते हुए प्रकरण में अन्य तारीख नियत की जानी चाहिये थी, जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा उसी दिन फैसला करते हुए शास्ति का आरोपण किया गया है, जो अपीलीय अधिकारी द्वारा विधि अनुसार अपास्त किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वक्त जांच 360 टिन मूंगफली तेल पाया गया, जो कि व्यवहारी की लेखा–पुस्तकों में दर्ज नहीं था। इस बाबत जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए शास्ति अदा किये जाने की सहमति व्यक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2009) 25 Tax Update 20 मैसर्स राजेन्द्र इलेक्ट्रिकल्स बनाम स.वा.क.अ. वार्ड–प्रथम जालौर** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि व्यवहारी की स्वीकारोक्ति के पश्चात् प्रकरण में किसी प्रकार की जांच अपेक्षित नहीं रहती है एवं शास्ति का आरोपण पूर्णतया विधिसम्मत है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि कारित किया जाना नहीं पाया जाता है, जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त करते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर, अपीलीय आदेश दिनांक 13.04.2007 अपास्त किया जाता है एवं सक्षम अधिकारी का आदेश दिनांक 24.05.2002 यथावत बहाल किया जाता है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष